



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2018/पौष 20, 1939

No. 115]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2018/PAUSHA 20, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

का.आ 133(अ)—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 12 मई, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 132 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“133.	बकानेनिया लैंजान स्पर्ग	चिरौंजी	चिरौंजी
134.	टैमरिडस इंडिका एल.	टैमरिड	इमली
135.	आईपोमिया बटाटास एल. लैम.	स्वीट पोटेटो	षकरकंद
136.	मैनिहॉट एस्क्यूलेटा क्रांज्	कसावा	कसावा
137.	पॉपुलस डेलटोइड्स बार्ट	पॉपलर	पॉपलर”

[फा. सं. 2-9/2008-एस.डी. V]

डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और का.आ. 3406(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the, 9th January, 2018

S.O. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 29 read with Section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 132 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“133.	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.	Chironji	Chironji
134.	<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarind	Imli
135.	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Sweet Potato	Shakarkand
136.	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Cassava	Cassava
137.	<i>Populus deltoides</i> Bartr.	Poplar	Poplar”.

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and amended *vide* S.O. 3406(E), dated 23rd October, 2017.